

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1972/फाल्गुन 14, 1893

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 4th March, 1972

No. **DRAWBACK/PN-20/72**.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the table published

in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

1. After clause (b) of sub-serial No. 2102 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

(c) D.T. Tanned snake and reptile skins Rs. 0.58 (Fifty eight paise only) per kg

2. After Sub-serial No. 2508 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

Sub-Serial No.	Description	Rate of drawback
2509	Viscose Filament yarn . .	Rs. 0.34 (Thirty four paise only) per kg.
510	Acetate Filament yarn . .	Rs. 0.48 (Fifty eight paise only) per kg.
2511	Polyamide Filament yarn . .	Rs. 2.72 (Rupees two and seventy two paise only) per kg.
2512	Polyester filament yarn . .	Rs. 2.62 (Rupees two and sixty two paise only) per kg.

3. After sub-serial No. 2726 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub-Serial No.	Description	Rate of drawback
2727	Cotton waterproof tarpaulins fitted with brass or aluminium eyelets:—	
	(i) where the export FOB value of the tarpaulins does not exceed Rs. 4.20 per sq. metre.	4% (four per cent) of the F.O.B. value.
	(ii) where the export F.O.B. value of the tarpaulins exceed Rs. 4.20 per sq. metre.	7.5% (seven point five per cent) of the F.O.B. value.

Provided that the manufacturer/exporter has not availed of the procedure prescribed under Rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the manufacture of cotton waterproof tarpaulins.

4. For the existing sub-serial No. 3703 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description	Rate of drawback.
3703	Aluminium Alloy Ingots and castings.	At the rate applicable under sub-serial No. 3803 (iii) in respect of Aluminium content.

5. For the existing sub-serial No. 3823 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description	Rate of drawback.
3823	(i) Pressure cookers complete made of aluminium.	Rs. 1.57 (Rupee One and fifty seven paise) per kg.
	(ii) Gaskets for pressure cookers	Rs. 0.30 (Thirty paise only) per kg.
	(iii) Safety plugs with pintes for Pressure cookers.	Rs. 0.30 (Thirty paise only) per kg.
	(iv) Handles of pressure cookers made of phenol formaldehyde moulding powder and exported with or without screws.	Drawback at the rate admissible under Sub-Sr. No. 1910 in respect of phenol Formaldehyde moulding powder, plus The drawback admissible in respect of Aluminium scraps, if any under sub-serial No. 3803 (iii) plus The drawback admissible in respect of Steel screws, if any under Sub-Serial No. 3621.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with coming into effect of this Public Notice.

क्षित मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972

सं० प्रतिआवयगी/बी०एन० 210/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिआवयगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्रतिआवयगी) के नियम 3 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिआवयगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा तुरन्त निम्नलिखित प्रतिरिक्त संशोधन करती है :—

1. उप-क्रम संख्या 2102 के खंड (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(ग) ई०आई० टेन्डस्नेक एंड रेफ्टाइल ६० 0.58 (अठ्ठावन पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
स्किन

2. उप-क्रम सं० 2508 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

2509 विसकोस तन्तु धागा	रु० 0.34 (केवल चौतिस पैसे) प्रति किलोग्राम।
2510 एसिटेड तन्तु धागा	रु० 0.48 (केवल अड़तासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
2511 पालिआमाइड तन्तु धागा	रु० 2.72 (केवल दो रुपए और बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
2512 पालिएस्टर तन्तु धागा	रु० 2.62 (केवल दो रुपए और बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

3. उपक्रम-क्रम संख्या 2726 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

2727 सूती वाटर प्रूफ त्रिपाल, जिनपर पीतल अथवा एल्यूमीनियम के बटन लगे हों

(i) जहाँ त्रिपाल का पोत पर्यन्त निःशुल्क पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4% मूल्य 4.20 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक (चार प्रतिशत) नहीं हो

(ii) जहाँ त्रिपाल का पोत पर्यन्त निःशुल्क पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 (सात दशमलक मूल्य 4.20 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक पांच प्रतिशत) हो

परन्तु यह तब जब कि निर्माता/निर्यातकर्ता ने सूती वाटर-प्रूफ त्रिपालों के निर्माण के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्य-विधि का पालन नहीं किया हो।

4. विद्यमान उप-क्रम संख्या 3703 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेंगा, अर्थात् :—

3703 एल्यूमीनियम मिश्रधातु के डले और ढली वस्तुएं एल्यूमीनियम अन्तर्बस्तु के संबंध में उप-क्रम संख्या 3803 (iii) के अधीन लगाने योग्य दर पर।

5. विद्यमान उप-क्रम संख्या 3823 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

3823 (i) एल्यूमीनियम से बने प्रेशर-कुकर, रु० 1.57 (एक रुपया तथा सत्तावन पैसे) प्रति सम्पूर्ण किलोग्राम।

(ii) प्रेशर कुकर के लिए गार्केट रु० 0.30 (केवल तीस पैसे) प्रति किलोग्राम

(iii) प्रेशर कुकर के लिए पिन्टस् के साथ से ह्टी प्लग 50 0 30 (केवल तीस पैसे प्रति किलोग्राम)

(iv) फेनोल फारमेलडीहाइड मोल्डिंग पाउडर से बने तथा पेच के साथ अथवा उसके बिना निर्यात किये गये प्रेशर कुकर के हैंडिल फेनोल फारमेलडीहाइड मोल्डिंग पाउडर के सबध मे उप-क्रम सख्या 1910 के अधीन स्वी-कार्य वर पर प्रतिभ्रदायगी, तथा उप-क्रम सख्या 3803 (iii) के अधीन एल्यूमीनियम के पेचों पर स्वीकार्य प्रतिभ्रदायगी, यदि कोई हो, तथा उप-क्रम सख्या 3621 के अधीन इस्पात के पेचों के सबध मे स्वीकार्य प्रतिभ्रदायगी, यदि कोई हो ।

उपयुक्त माल के सबध मे अलग-अलग निर्माता निर्यात-कर्ता के लिए नियत की गयी सभी ब्राड वरे, इस म वैज्ञानिक सूचना के लागू होने पर रद्द की गयी मानी जायेगी ।

No. DRAWBACK/PN-21/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No 52/F No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following further amendments in the table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, with immediate effect

1. For the existing sub-serial No 2405 and 2406 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely —

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
2405	Carbon paper black in the manufacture of which indigenous tissue paper has been used	Rs. 18 85 per one hundred boxes of hundred foolscap sheets each, when packed in boxes, and Rs. 14 70 per 10,000 foolscap sheets, when not so packed.
2406	Carbon paper other than black in the manufacture of which indigenous tissue paper has been used.	Rs. 22 55 per one hundred boxes of hundred foolscap sheets each, when packed in boxes and Rs. 18 40 per 10,000 foolscap sheets, when not so packed.

NOTE.—(1) The term 'foolscap' under column 4 against sub-serial No 2405 and 2406 refers to size 330 mm x 215 mm.

(2) The rate of drawback on Carbon paper of sizes other than foolscap will be proportionately higher or lower than the rates indicated above accordingly as the area of such paper is higher or lower than foolscap size.

2 The sub-clause (1) of clause (G) of sub-serial No 2503 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —

(1) *Polyester filament yarn*

(i) Below 30 den ers

Rs. 45 86 (Rupees forty five and eighty six paise only) per kg of the yarn content,

(ii) of 30 to 74 deniers	Rs. 35·62 (Rupees thirty five and sixty two paise only) per kg. of the yarn content.
(iii) of 75 to 99 deniers	Rs. 22·62 (Rupees twenty two and sixty two paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) of 100 to 750 deniers	Rs. 18·62 (Rupees eighteen and sixty two paise only) per kg. of yarn content.
(v) of above 750 deniers	Rs. 6·62 (Rupees six and sixty two paise only) per kg. of the yarn content.

3. The sub-clause (2) of clause (G) of sub-serial No. 2503 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(2) *Polyamide filament yarn*

(i) below 30 deniers	Rs. 33·75 (Rupees thirty three and seventy five paise only) per kg. of the yarn content.
(ii) of 30 to 74 deniers	Rs. 31·55 (Rupees thirty one and fifty five paise only) per kg. of the yarn content.
(iii) of 75 to 89 deniers	Rs. 26·72 (Rupees twenty six and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) of 90 to 149 deniers	Rs. 22·72 (Rupees twenty two and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.
(v) of 150 to 750 deniers	Rs. 10·72 (Rupees ten and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.
(vi) above 750 deniers	Rs. 6·72 (Rupees six and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.

4. The existing sub-clause (3) of clause (G) of sub-serial No. 2503 and the entries relating thereto shall be omitted.

5. For the existing sub-clause (4) of clause (G) of Sub-serial No. 2503 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(3) *Viscose filament yarn*

(i) upto 74 deniers	Rs. 11 (Rupees eleven only) per kg. of the yarn content.
(ii) 75 deniers to 99 deniers	Rs. 7·75 (Rupees seven and seventy five paise only) per kg. of the yarn content.
(iii) 100 deniers to 119 deniers	Rs. 5·60 (Rupees five and sixty paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) 120 deniers to 149 deniers	Rs. 4·60 (Rupees four and sixty paise only) per kg. of the yarn content.
(v) 150 deniers to 349 deniers	Rs. 3·80 (Rupees three and eighty paise only) per kg. of the yarn content.
(vi) 350 deniers to 1100 deniers	Rs. 2·85 (Rupees two and eighty five paise only) per kg. of the yarn content.
(vii) above 1100 deniers	Rs. 2·35 (Rupees two and thirty five paise only) per kg. of the yarn content.

6. The existing sub-clause (5) of clause (G) of sub-serial No. 2503 shall be re-numbered as sub-clause (4) of clause (G) of sub-serial No. 2503.

7. For clause (A) of sub-serial No. 2620 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(A) *Polyester filament yarn*

(i) below 30 deniers	Rs. 45·86 (Rupees forty five and eighty six paise only) per kg. of the yarn content
(ii) of 30 to 75 deniers	Rs. 35·62 (Rupees thirty five and six two paise only) per kg. of the yarn content.
(iii) of 75 to 99 deniers	Rs. 22·62 (Rupees twenty two and sixty two paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) of 100 to 750 deniers	Rs. 18·62 (Rupees eighteen and sixty two paise only) per kg. of the yarn content,
(v) of above 750 deniers	Rs. 6·62 (Rupees six and sixty two paise only) per kg. of the yarn content.

8. For clause (B) of sub-serial No. 2620 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

B) *Polyamide filament yarn*

(i) below 30 deniers	Rs. 33·75 (Rupees thirty three and seventy five paise only) per kg. of the yarn content.
(ii) of 30 to 74 deniers	Rs. 31·55 (Rupees thirty one and fifty five paise only) per kg. of the yarn content.
(iii) of 75 to 89 deniers	Rs. 26·72 (Rupees twenty six and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) of 90 to 149 deniers	Rs. 22·72 (Rupees twenty two and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.
(v) of 150 deniers to 750 deniers	Rs. 10·72 (Rupees ten and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.
(vi) of above 750 deniers	Rs. 6·72 (Rupees six and seventy two paise only) per kg. of the yarn content.

9. The clause (C) of sub-serial No. 2620 and the entries relating thereto shall be omitted.

10. For clause (D) of sub-serial No. 2620 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(C) *Viscose filament yarn*

(i) upto 74 deniers	Rs. 11·00 (Rupees eleven only) per kg. of the yarn content.
(ii) 75 deniers to 99 deniers	Rs. 7·75 (Rupees seven and seventy five paise only) per kg. of the yarn content.
(iii) 100 deniers to 119 deniers	Rs. 5·60 (Rupees five and sixty paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) 120 deniers to 149 deniers	Rs. 4·60 (Rupees four and sixty paise only) per kg. of the yarn content.

- | | |
|--|--|
| (v) 150 deniers to 349 deniers | Rs. 3.80 (Rupees three and eighty only)
per kg. of the yarn content. |
| (vi) 350 deniers to 1100 deniers | Rs. 2.85 (Rupees two and eighty five paise
only) per kg. of the yarn content. |
| (vii) above 1100 deniers | Rs. 2.35 (Rupees two and thirty five paise
only) per kg. of the yarn content. |

11. The existing clause (E) of sub-serial No. 2620 shall be re-numbered as clause (D) of sub-serial No. 2620.

12. For clause (A) of sub-serial No. 2721 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(A) *Polyester Filament yarn*

- | | |
|------------------------------------|---|
| (i) below 30 deniers | Rs. 45.86 (Rupees forty five and eighty
six paise only) per kg. of the yarn content. |
| (ii) of 30 to 74 deniers | Rs. 35.62 (Rupees thirty five and sixty two
paise only) per kg. of the yarn content. |
| (iii) of 75 to 99 deniers | Rs. 22.62 (Rupees twenty two and sixty
two paise only) per kg. of the yarn content. |
| (iv) of 100 to 750 deniers | Rs. 18.62 (Rupees eighteen and sixty two
paise only) per kg. of the yarn content. |
| (v) of above 750 deniers | Rs. 6.62 (Rupees six and sixty two paise
only) per kg. of the yarn content. |

13. For clause (B) of sub-serial No. 2721 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(B) *Polyamide Filament yarn*

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (i) below 30 deniers | Rs. 33.75 (Rupees thirty three and seventy
five paise only) per kg. of the yarn con-
tent. |
| (ii) of 30 to 74 deniers | Rs. 31.55 (Rupees thirty one and fifty five
paise only) per kg. of the yarn content. |
| (iii) of 75 to 89 deniers | Rs. 26.72 (Rupees twenty six and seventy
two paise only) per kg. of the yarn con-
tent. |
| (iv) of 90 to 149 deniers | Rs. 22.72 (Rupees twenty two and seventy
two paise only) per kg. of the yarn con-
tent. |
| (v) of 150 to 750 deniers | Rs. 10.72 (Rupees ten and seventy two
paise only) per kg. of the yarn content. |
| (vi) of above 750 deniers | Rs. 6.72 (Rupees six and seventy two paise
only) per kg. of the yarn content. |

14. The clause (C) of sub-serial No. 2721 and the entries relating thereto shall be omitted.

15. For clause (D) of sub-serial No. 2721 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Viscose filament yarn

- | | |
|---------------------------------------|---|
| (i) up to 74 deniers | Rs. 11.00 (Rupees eleven only) per kg. of
the yarn content. |
| (ii) 75 deniers to 99 deniers | Rs. 7.75 (Rupees seven and seventy five
paise only) per kg. of the yarn content. |

(iii) 100 deniers to 119 deniers	Rs. 5.60 (Rupees five and sixty paise only) per kg. of the yarn content.
(iv) 120 deniers to 149 deniers	Rs. 4.60 (Rupees four and sixty paise only) per kg. of the yarn content.
(v) 150 deniers to 349 deniers	Rs. 3.80 (Rupees three and eighty paise only) per kg. of the yarn content.
(vi) 350 deniers to 1100 deniers	Rs. 2.85 (Rupees two and eighty five paise only) per kg. of the yarn content.
(vii) above 1100 deniers	Rs. 2.35 (Rupees two and thirty five paise only) per kg. of the yarn content.

16. The existing clause (E) of sub-serial No. 2721 shall be renumbered clause (D) of sub-serial No. 2721.

17. For the existing sub-serial No. 3906 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
3906	Diamond dressers and diamond wheels, all types.	16.5% of the F.O.B. Value (Sixteen point five percent).

M. PANCHAPPA,
Director (Drawback).

सं० प्रति अदायगी/पी एन० 21/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्रति अदायगी के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं०, प्रतिअदायगी/पी० एन०/1, दिनांक 15 अक्टूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा तुरन्त निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है ।

1. विद्यमान उप-क्रम सं० 2405 और 2406 तथा उनसे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

उप-क्रम क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
2405	काले कार्बन पेपर जिसके निर्माण में देशी टिश्यू पेपर इस्तेमाल किया गया है ।	जब वह बक्कों में पैक हो तो सौ-सौ फुल-स्केप तख्तों के प्रति सौ बक्कों पर 18.85 रु० तथा जब वह इस प्रकार से पैक नहीं किया गया हो तो 14.70 रु० प्रति 10,000 फुलस्केप शीट ।

1	2	3
2406	काले कार्बन पेपर से भिन्न कार्बन पेपर जिसके निर्माण से देशी टिशु पेपर हस्तेमाल किया गया हो।	जब वह बक्कों में पैक किया गया हो तो सौ-सौ फुलस्केप शीटों के प्रति सौ बक्कों पर 22.55 रु० तथा जब वह इस प्रकार से पैक नहीं किया गया हो तो 18.40 रु० प्रति 10,000 फुलस्केप शीट।

टिप्पणी : (1) उप-क्रम सं० 2405 तथा 2406 के सम्मुख स्तम्भ 4 के अन्तर्गत "फुलस्केप" शब्द का तात्पर्य 330 मि० मी० 215 मि० मी० के आकार से है।

(2) फुलस्केप से भिन्न आकारों के कार्बन पेपर पर प्रतिप्रवायगी की दर ऊपर दी गई दरों से एतदनुसार उच्चतर अथवा निम्नस्तर अनुपात में होगी कि ऐसे कागज का क्षेत्रफल फुलस्केप आकार से कितना अधिक अथवा कम है।

2. उप-क्रम सं० 2503 के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (1) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :

(1) पोलिएस्टर तन्तु धागा

(1) 30 डेनियर से नीचे धागा अन्तर्वस्तु का 45.86 रु० (केवल पैतालीस रुपये छयासी पैसे) प्रति किलोग्राम।

(2) 30 से 74 डेनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 35.62 रुपये (केवल पैतीस रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

(3) 75 से 99 डेनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 25.62 रु० (केवल बाईस रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

(4) 100 से 750 डेनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 18.62 रु० (केवल अठारह रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

(5) 750 डेनियर से ऊपर का धागा अन्तर्वस्तु का 6.62 रु० (केवल छ० रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

3. उप-क्रम सं० 2503 के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (2) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2) पॉलिमार्ड तन्तु धागा

(1) 30 डेनियर से नीचे धागा अन्तर्वस्तु का 33.75 रु० (केवल तैंतीस रुपये पच्चाहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।

- | | |
|-----------------------------|---|
| (2) 30 से 74 डैनियर का | घागा अन्तर्वस्तु का 31.55 रु० (केवल इकतीस रुपये पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (3) 75 से 89 डैनियर तक का | घागा अन्तर्वस्तु का 26.72 रु० (केवल छब्बीस रुपये बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (4) 90 से 149 डैनियर तक का | घागा अन्तर्वस्तु 22.72 रु० (केवल बाईस रुपये बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (5) 150 से 750 डैनियर तक का | घागा अन्तर्वस्तु का 10.72 रु० वल दस रुपये बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (6) 750 डैनियर से ऊपर | घागा अन्तर्वस्तु का 6.72 रु० (केवल छः रुपये बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम । |

4. उपक्रम सं० 2503 के खण्ड (छ) के विद्यमान उप-खण्ड (3) तथा उससे संबंध प्रविष्टियों को निकाल दिया जायगा ।

5. खण्ड (छ) के विद्यमान उप-खण्ड (4) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्न-लिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

(3) विकास तन्तु घागा

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) 74 डैनियर तक | घागा अन्तर्वस्तु का 11 रु० (केवल ग्यारह रुपये) प्रति किलोग्राम । |
| (2) 75 डैनियर से
99 डैनियर तक | घागा अन्तर्वस्तु का 7.75 रु०
(केवल सात रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (3) 100 डैनियर से 119 डैनियर तक | घागा अन्तर्वस्तु का 5.60 रु० (केवल पांच रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (4) 120 डैनियर से 149 डैनियर तक | घागा अन्तर्वस्तु का 4.60 रु० (केवल चार रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (5) 150 डैनियर से 349 डैनियर तक | घागा अन्तर्वस्तु का 3.80 रु० (केवल तीन रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (7) 350 डैनियर से 1100 डैनियर तक | घागा अन्तर्वस्तु का 2.85 रु० (केवल दो रुपये पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम । |
| (7) 1100 डैनियर से ऊपर | घागा अन्तर्वस्तु का 2.35 रु० (केवल दो रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम । |

6. उपक्रम सं० 2503 के खण्ड (छ) के विद्यमान उप-खण्ड (5) का पुनर्संख्यान उपक्रम सं० 2503 के खण्ड (छ) के उपखण्ड (4) के रूप में किया जायगा।

7. उप-क्रम सं० 2620 के खण्ड (क) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् —

(क) पोलिस्टर तंतु धागा

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) 30 डेनियर से नीचे | धागा अन्तर्वस्तु का 45.86 रु० (केवल पैतालीस रुपये छियासी पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (2) 30 से 74 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 35.62 रु० (केवल पैतीस रुपये बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (3) 75 से 99 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 22.62 रु० (केवल बाईस रुपये तथा बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (4) 100 से 750 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 18.62 रु० (केवल अठारह रुपये तथा बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (5) 750 डेनियर से ऊपर का | धागा अन्तर्वस्तु का 6.62 (केवल छ. रुपये तथा बासठ पैसे) प्रति किलोग्राम। |

8. उप-क्रम सं० 2620 के खण्ड (ख) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(ख) पॉलियामाइड तंतु धागा

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) 30 डेनियर से नीचे | धागा अन्तर्वस्तु का 33.75 रुपये (केवल तैंतीस रुपये तथा पच्चास पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (2) 30 से 74 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 31.55 रुपये (केवल इक्तीस रुपये तथा पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम। |
| (3) 75 से 89 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 26.72 रुपये (केवल छब्बस रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम। |

- (4) 90 से 149 डैनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 22.72 रुपये (केवल बाईस रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
- (5) 150 से 750 डैनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 10.72 रुपये (केवल दस रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
- (6) 750 डैनियर से ऊपर का धागा अन्तर्वस्तु का 6.72 रुपये (केवल छः रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।

9. उप-क्रम सं० 2620 के खण्ड (ग) तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी ।

10. उप-क्रम सं० 2620 के खंड (घ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(ग) बिस्कास तन्तु धागा

- (1) 74 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 11 रुपये (केवल ग्यारह रुपये) प्रति कि० ग्रा० ।
- (2) 75 डैनियर से 99 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु 7.75 रुपये (केवल सात रुपये तथा पचहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (3) 100 डैनियर से 119 डैनियर धागा अन्तर्वस्तु का 5.60 रुपये (केवल पांच रुपये तथा साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (4) 120 डैनियर से 149 डैनियर धागा अन्तर्वस्तु का 4.60 रुपये (केवल चार रुपये तथा साठ पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (5) 150 डैनियर से 349 डैनियर धागा अन्तर्वस्तु का 3.80 रुपये (केवल तीन रुपये तथा अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (6) 350 डैनियर से 1100 डैनियर धागा अन्तर्वस्तु का 2.85 रुपये (केवल दो रुपये तथा पच्चासी पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (7) 1100 डैनियर से ऊपर धागा अन्तर्वस्तु का 2.35 रुपये (केवल दो रुपये तथा पैंतीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

11. विद्यमान उप-क्रम सं० 2620 के खंड (उ) के उप-क्रम सं० 2620 के खंड (ब) के रूप में पुनर्संस्थापित किया जायगा।

12. उप-क्रम सं० 2721 के खंड (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायगा। अर्थात् :—

(क) पालियेस्टर तंतु धागा

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 30 डेनियर से नीचे | धागा अन्तर्वस्तु का 45.86 रुपये (केवल पैतालीस रुपये तथा छियासी पैसे प्रति कि० ग्रा०। |
| (2) 30 से 74 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 35.62 रुपये (केवल पैतीस रुपये तथा बासठ पैसे, प्रति कि० ग्रा०। |
| (3) 75 से 99 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 22.62 रुपये (केवल बाईस रुपये तथा बासठ पैसे, प्रति कि० ग्रा०। |
| (4) 100 से 750 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 18.62 रुपये (केवल अठारह रुपये तथा बासठ पैसे, प्रति कि० ग्रा०। |
| (5) 750 डेनियर से ऊपर | धागा अन्तर्वस्तु का 6.62 रुपये (केवल छः रुपये तथा बासठ पैसे) प्रति कि० ग्रा०। |

13. उप-क्रम सं० 2721 के खंड (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(ख) पॉलियामाइड तंतु धागा

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) 30 डेनियर से नीचे | धागा अन्तर्वस्तु का 33.75 रुपये (केवल तैतीस रुपये तथा पच्चात्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०। |
| (2) 30 से 74 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 31.55 रुपये (केवल इकतीस रुपये तथा पचपन पैसे) प्रति कि० ग्रा०। |
| (3) 75 से 89 डेनियर तक का | धागा अन्तर्वस्तु का 26.72 रुपये (केवल छब्बीस रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०। |

- (4) 90 से 249 डैनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 22.72 रुपये (केवल बाईस रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (5) 150 से 750 डैनियर तक का धागा अन्तर्वस्तु का 10.72 रुपये (केवल दस रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (6) 750 डैनियर से ऊपर धागा अन्तर्वस्तु का 6.72 रुपये (केवल छः रुपये तथा बहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

14 उप-क्रम सं० 2721 के खंड (ग) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जायेगा ।

15. उप-क्रम सं० 2721 के खंड (घ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्न लिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(ग) बिस्कास लंघु धागा

- (1) 74 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 11/- रुपये (केवल ग्यारह रुपये प्रति कि० ग्रा० ।
- (2) 75 डैनियर से 99 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 7.75 रुपये (केवल सात रुपये तथा पचहत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (3) 100 डैनियर से 119 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 5.60 रुपये (केवल पांच रुपये तथा 60 पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (4) 120 डैनियर से 149 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 4.60 रुपये (केवल चार रुपये तथा साठ पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
- (5) 150 डैनियर से 349 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 3.80 रुपये (केवल तीन रुपये तथा अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (6) 350 डैनियर से 1100 डैनियर तक धागा अन्तर्वस्तु का 2.85 रुपये (केवल दो रुपये तथा पचासी पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।
- (7) 1100 डैनियर से ऊपर धागा अन्तर्वस्तु का 2.35 रुपये (केवल दो रुपये तथा पैंतीस पैसे) प्रति कि० ग्रा० ।

16 विद्यमान उप-क्रम सं० 2721 के खंड (ड) को उप-क्रम सं० 2721 के खंड (ए) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जायेगा ।

17. विद्यमान उप-क्रम सं० 3906 तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा । अर्थात् :—

3906 हीरे को तराशने के सभी किस्म के औजार पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का	
एवं चखियां	16.5 प्रतिशत (सोलह दशमलव पांच प्रतिशत) ।

एम० पंचप्पा,

निदेशक (प्रति अदायगी) ।